भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 933
गुरुवार, 5 फरवरी, 2026/16 माघ, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

वाइड-बॉडी और नैरो-बॉडी विमानों का समावेश

933. **श्रीमती विजयलक्ष्मी देवी:**
श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:
श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा:
श्री अनन्त नायक:
श्री योगेन्द्र चांदोलिया:
श्री तेजस्वी सूर्या:
श्री अनूप संजय धोत्रे:
डॉ. हेमांग जोशी:
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत:
श्री गोडम नागेश:
श्री शंकर लालवानी:
श्रीमती डी. के. अरुणा:
श्री विष्णु दयाल राम:
श्री खगेन मुर्मु:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विमान बेड़े में शामिल किए गए वाइड-बॉडी और नैरो-बॉडी विमानों की संख्या कितनी है और वर्तमान में उन्हें किन मार्गों पर संचालित किया जा रहा है;
(ख) बेड़े के विस्तार और एकीकरण के दौरान विमानों की उपलब्धता, समय-पालन और मार्गों के युक्तिकरण से संबंधित चुनौतियों की सरकार किस प्रकार निगरानी कर रही है;
(ग) तेजी से विस्तार के चरण के दौरान सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) और एयरलाइनों के बीच समन्वय तंत्र क्या है; और
(घ) बेड़े के सामंजस्य और सेवाओं के मानकीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने की संभावित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित एयरलाइन प्रचालकों के बेड़े में शामिल किए गए वाइड-बॉडी और नैरो-बॉडी विमानों की संख्या अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है। वायु निगम अधिनियम के निरसन के साथ, भारतीय विमानन क्षेत्र को पूर्ण रूप से विनियमनमुक्त कर दिया गया है, और एयरलाइनें अपनी वाणिज्यिक व्यवहार्यता और बाजार कारकों के आधार पर उड़ानों का परिचालन करने और क्षमता बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ख): एयरलाइनों द्वारा विमानों को अपने बेड़े में शामिल करने, समय पर निष्पादन (ओटीपी) और मार्ग युक्तिकरण की निगरानी करने के लिए डीजीसीए के पास एक सुदृढ़ तंत्र मौजूद है।

(ग) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एक बहु-स्तरीय निगरानी तंत्र स्थापित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एयरलाइनों द्वारा विशेष रूप से बेड़े के आकार और परिचालनों में तेजी से विस्तार के चरणों के दौरान सुरक्षा मानकों का सख्ती से अनुपालन किया जा रहा है। विमानों को बेड़े में शामिल करने, उड़ान परिचालनों में वृद्धि, मार्ग विस्तार और वेट/ड्राई लीजिंग सहित सभी विस्तार गतिविधियां, सुरक्षा तैयारी की विस्तृत जाँच के पश्चात डीजीसीए द्वारा पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन होती हैं। डीजीसीए उड़ान परिचालनों, उड़नयोग्यता, प्रशिक्षण, सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) और रखरखाव परिपाटियों को कवर करते हुए आवधिक और विशेष संपरीक्षाएँ, निरीक्षण और निगरानी क्रियाकलाप आयोजित करता है। डीजीसीए परिचालन निष्पादन, सुरक्षा संकेतकों और जनशक्ति की पर्याप्तता एवं अनुपालन स्थिति की समीक्षा के लिए एयरलाइन प्रबंधन और प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित करता है। इनमें कमियाँ पाए जाने पर, डीजीसीए सुधारात्मक और प्रवर्तन कार्रवाई करता है, जिसमें कारण बताओ नोटिस जारी करना, परिचालन प्रतिबंध या अनुमोदन का निलंबन और वित्तीय जुर्माना, जो भी आवश्यक हो, शामिल हैं।

(घ) : बेड़े के सामंजस्य और सेवाओं के मानकीकरण की प्रक्रिया व्यक्तिगत एयरलाइन प्रचालक का उनकी व्यवसाय योजना के आधार पर एक वाणिज्यिक निर्णय होता है और इस संबंध में मंत्रालय एवं डीजीसीए सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं करते हैं।

अनुलग्नक - I

शामिल किए गए वाइड-बॉडी और नैरो-बॉडी विमानों की संख्या

वर्ष	वाइड-बॉडी	नैरो-बॉडी	कुल
2023	8	104	112
2024	11	129	140
2025	0	95	95
2026 (दिनांक 31.01.2026 तक)	01	7	8

नोट: एयरलाइन प्रचालकों द्वारा बेड़े में विमानों को शामिल करने के साथ-साथ उनके मौजूदा विमान की पट्टा अवधि की समाप्ति के अनुरूप उनकी पुनःसुपुर्दगी/निर्यात भी किया जाएगा। इस प्रकार विमान को शामिल करने से विमान बेड़े में वृद्धि के साथ-साथ मौजूदा बेड़े का समय के साथ उनके प्रतिस्थापन की आवश्यकता की भी पूर्ति होगी।
